फर्द अहकाम

बिमला देवी बनाम औमप्रकाश ...

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक) शाहपुरा जिला ...

दावा - ...

केस संख्या : 60/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र0 सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	28/1/26 लगातार	मैं मैं स्वयं अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूँ, इसलिए मेरे द्वारा ... दावा व T.I. विड्रो किया जाकर ... किया जावे। पत्रावली विड्रो किये जाने ... वादीया ने प्रार्थना, आदेशिका एवं प्रार्थना के संलग्न शपथ-पत्र पर भी हस्ताक्षर किये है एवं पहचान हेतु आधार कार्ड भी पेश किया है। वादीया को सुना गया। पत्रावली ... तारीख पेशी से तलब की गई। पत्रावली व प्रार्थना का अवलोकन किया गया। ... प्रार्थीया/वादीया उक्त प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है एवं दावा विड्रो कर खारिज किये जाने बाबत प्रार्थना एवं शपथ-पत्र व आधार कार्ड पर सहमति बाबत हस्ताक्षर किये है। प्रार्थीया/वादीया के पौत्र ने (रोहिताश कुमार) भी सहमति व वादीया की पहचान हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है। अतः वादीया द्वारा प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से लोक अदालत की भावना से प्रार्थीया/वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रो न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर दावा विड्रो किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं दर्ज नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

अंगूठा निशानी बिमला देवी

बिमला देवी का पौत्र
रोहिताश कुमार जाट
7073604439

न्यायालय :—सहायक कलेक्टर—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

राजस्व वाद सं0 60 / 2024

विमला देवी पत्नि बशीधर जाट, जाति जाट, निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)

—वादीया

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बिरदू
2. पोखर पुत्र नारायण
3. रूडाराम पुत्र छोटू
4. हरिशंकर पुत्र छोटू

समस्त जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)

5. बनवारी लाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद, जाति जाट, निवासी पी—27 बी, अलकापुरी स्कीम जयपुर (राज0)
6. राजस्थान सरकार (भुधारक) जरिये तहसीलदार तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
7. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय अमरसर उपतहसील अमरसर, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश—7 नियम—1 जाप्ता दीवानी बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

महोदय,

वादीया की ओर से वाद पत्र दो प्रतियो में मयशपथ पत्र निम्न प्रकार पेश है:—

श्रीमान

1. दावा न्यायालय क्षेत्राधिकार में है।
2. निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।
3. अन्दर मियाद है।
4. दावा 2 प्रति में पेश है।
5. दावे के प्रत्येक पेज पर वादी गण के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी अंकित है।
6. नवीनतम...जमाबन्दी...... पेश है।
7. दावा बटवारा होने से सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है।

ह. रीडर/ लिपिक

श्रीमान ACJM साहब

दर्ज रजिस्टर हो
कार्यवाही हो

6/6/24

1. यहकि हाल आराजी खाता सं0–90 के हाल आराजी खसरा नं0–524/0.68 है0 कुल किता–1 रकबा 0.68 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा, पटवार हल्का जगतपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी में वादीया का 211/1133 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्जे राजस्व रिकार्ड है। हाल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र पेश है।
2. यहकि वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित वाद ग्रस्त भूमिया है जिन्हे वाद पत्र के आगे के पैराज में वाद अधीन मुतवादिया कहा गया है।
3. यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि हाल आराजी खाता सं0–90 के हाल आराजी खसरा नं0–524/0.68 है0 कुल किता–1 रकबा 0.68 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा, पटवार हल्का जगतपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में हिस्सा 211/1133 वादीया की खरीदशुदा भूमि है तथा वादीया खरीद के समय से ही अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग करती है वादीया ने अपनी खरीदशुदा भूमि पर स्वंय की धनराशि खर्च कर उसे विकसित किया है। वादीया की खरीदशुदा भूमि से प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है।
4. यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आज तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। इस कारण प्रतिवादीगण आये दिन वादीया के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी पैदा करते है तथा वादीया के हिस्से में जबरिया लठ के बल पर कब्जा करने की फिराक में है जिसके चले आये दिन प्रतिवादीगण सीव, डोल, विशिष्ट भु–भाग पर कब्जा करने व जबरन रास्ता निकालने हेतु वादीया को हैरान व परेशान करते है तथा वादीया को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है जिस कारण अब सामलाती में काश्त करना कतई संभव नहीं रहा है।
5. यहकि अर्सा–5 दिवस पूर्व वादीया अपने हिस्से की भूमि पर काश्त की तैयारी हेतु भूमि की देखभाल कर रही थी कि अचानक प्रतिवादीगण वाद अधीन मुतवादिया में जबरन धुस आये तथा आते ही वादीया के साथ आमादा

फिसाद हो गये तथा उपयोग उपभोग करने में बैजा मदाखलत पैदा करने लगे तो वादीया द्वारा हाय हल्ला करने पर आस पास के काश्तकार ओर एकत्रित हो गये तो प्रतिवादीगण से समझाईश की गयी तथा वादीया ने प्रतिवादीगण से कानूनी बंटवारा करवाने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने कानूनी बंटवारे हेतु स्पष्ट रूप से मना कर दिया व प्रतिवादीगण ने वादीया को खुले में चेतावनी दी कि हम किसी कदर वाद अधीन मुतवादिया का कानूनी बंटवारा नहीं होने देगे जबकि जबरन वादीया के हिस्से कब्जे काश्त की भूमि मे से पुख्ता रास्ता बनाकर वाद अधीन मुतवादिया को खुर्द बुर्द करके रहेगे तथा विशिष्ट भु–भाग को बेचान करके रहेगे एवं वादीगण को एक इंच भूमि पर भी काश्त नहीं करने देगे। जबकि कब्जा वे स्वंय करने को आमदा है जिस कारण वादीया को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

6. यहकि प्रतिवादीगण किसी कदर अपने अवैध मंसूबो में सफल हो गये और उन्होने वादी को उसकी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया व उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने या वादी की कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा कर लिया तो वादीगण को इससे नाकाबिले तलाफी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी तथा वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूत्रि किसी भी धनराशि में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी।
7. यहकि बिनाय दावा वाद पत्र की खण्ड सं0–5 में वर्णित अनुसार निरन्तर जारी है अतः दावा अन्दर मियाद पेश है।
8. यहकि वादीया वाद अधीन मुतवादिया के हिस्से 211/1133 भाग की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से वाद अधीन मुतवादिया का कानूनी बंटवारा करवाने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है।

9. यहकि प्रतिवादी सं0–6 व 7 लोक सेवक / राज्य सरकार पक्षकार मुकदमा है कानूनन राज्य सरकार व लोक सेवक के विरूद्ध दावा दायरी से पहले 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने की अवधि के मध्य प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को रहन बय स्थानान्तरण कर देने का पूरा पूरा अन्देशा है तथा वादीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देने का पूरा पूरा अन्देशा है इसलिए धारा–80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नोटिस दिये जाने से छूट प्राप्त कर ली गयी है।

10. यहकि वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में वर्णित वांछित न्यायशुल्क पर पेश है।

11. यहकि पैदायश बिनाय दावा मुखासमत स्थित जायदाद सकुनैत फरीकेन माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वाद पत्र गहण श्रवण व निर्णय पारित करने का क्षैत्राधिकार अदालत हाजा को हासिल है।

12. यहकि अन्य वजूआत वरवक्त बहस न्यायालय श्रीमान् के समक्ष सबूत सहित जुबानी अर्ज किये जावेगे।

अतः वादीया की ओर से वाद पत्र दो प्रतियो में मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि वादीया का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एक निर्णय मय डिक्री वाद बहक वादीया बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे किः–

यहकि हाल आराजी खाता सं0–90 के हाल आराजी खसरा नं0–524 / 0.68 है0 कुल किता–1 रकबा 0.68 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा, पटवार हल्का जगतपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर काबिज काश्त के मुताबिक राजस्व नियमावली को ध्यान में रखकर कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

2. यहकि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि हाल आराजी खाता सं0–90 के हाल आराजी खसरा नं0–524/0.68 है0 कुल किता–1 रकबा 0.68 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा, पटवार हल्का जगतपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में बाद बंटवारा वादीया के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा मदाखलत पैदा नहीं करे जबकि वादीया को उसके हिस्से पर काबिज काश्त रहकर शांति पूर्वक काश्त करने देवे। पाबन्द फरमाया जावे।

3. यहकि वाद खर्चा वादीया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

4. यहकि अन्य सहायता जो वादीया के हक में मुनासिब हो अता फरमायी जावे।

दिनांक 24/05/2024

स्थान–शाहपुरा,जयपुर।

वादीया

विमला देवी पत्नि बंशीधर जाट, जाति जाट, निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)

जरिये अधिवक्ता

सुरेन्द्र सिंह शेखावत (एडवाकेट)

सत्यापन

मैं उपरोक्त सत्यापनकर्ता सत्यापित करता हूँ, कि वाद पत्र के सम्पूर्ण तथ्य मेरी निजी जानकारी व विश्वास के अनुसार पूर्णतया सही व सत्य है, जिसे मैंने अपने सलाह सलाहकार से तैयार करवाया कर पढवाकर, सुन व समझ लिया है, इस प्रकार कोई तथ्य वाद पत्र में मिथ्या अंकित नहीं है ईश्वर हमारा साक्षी है।

सत्यापनकर्ता

दिनांक 24/05/2024